

**राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0**  
**जी-1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर**

**मुद्रणालय को वित्तीय वर्ष 2015-16 (अनुबंध होने के एक वर्ष की अवधि के लिये) की अवधि के लिये सिक्यूरिटी गार्ड व अन्य कामगार आउट सोर्सिंग से अनुबंध पर रखने हेतु निविदा सूचना**

मुद्रणालय को वित्तीय वर्ष 2015-16 (अनुबंध होने के एक वर्ष की अवधि के लिए) की अवधि के लिये सिक्यूरिटी गार्ड एवं अन्य कामगार यथा कम्प्यूटर हेतु ऑपरेटर कम लिपिक, स्वीपर, बागवान, तकनीकी कार्य हेतु सहायक, मशीन में ऑपरेटर (ऑफसेट) एवं प्रिन्टिंग हेल्परो की सेवायें आउट सोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत सेवा प्रदायक ऐजेंसीयो/संस्थाओं जो लेबर ऐक्ट 1970 (रेगुलेशन एण्ड ऐबोलेशन) के अंतर्गत लाईसेन्सधारी एवं संस्था अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो, से सीलबंद तकनीकी एवं वित्तीय निविदायें/बिड दिनांक 12.08.2015 को दोपहर 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा दो बन्द लिफाफों में हस्ताक्षर युक्त प्रस्तुत करनी होगी (1) तकनीकी निविदा प्रपत्र परिशिष्ट "अ" जिसमें तकनीकी विवरण एवं (2) वित्तीय निविदा प्रपत्र परिशिष्ट "ब" में दरें अंकित कर प्रस्तुत करनी होगी। निविदादाता फर्म का जयपुर में कार्यालय होना अनिवार्य है।

दोनों बिड अर्थात् तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड मोहरबन्द लिफाफे में अलग-अलग प्रस्तुत की जानी है। तकनीकी बिड के लिफाफे में बोली प्रतिभूति राशि एवं अन्य तकनीकी सूचना का विवरण तथा वित्तीय बिड के लिफाफे में निविदा की दरें व अन्य विवरण अंकित होंगे। प्रथम लिफाफे पर सिक्यूरिटी गार्ड व अन्य कामगार अनुबंध पर रखने हेतु "तकनीकी बिड" तथा द्वितीय लिफाफे पर सिक्यूरिटी गार्ड व अन्य कामगार अनुबंध पर रखने हेतु "वित्तीय बिड" लिखा होना चाहिए। निविदा/बिड प्रपत्र भरकर ठीक प्रकार से लिफाफे में सीलबंद कर उचित रूप से "सिक्यूरिटी गार्ड व अन्य कामगार अनुबंध पर रखने हेतु" लिखा जाकर दिनांक 12.08.2015 को दोपहर 2 बजे तक प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जी-1/138, मालवीय नगर, औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर को सम्बोधित करते हुये प्रस्तुत किया जाना है। तकनीकी बिड में सफल निविदादाता का ही द्वितीय बिड का लिफाफा "वित्तीय बिड" खोला जायेगा। बिड प्रपत्र एवं शर्तें इस मुद्रणालय की वेबसाईट [www.thecooperativepress.com](http://www.thecooperativepress.com) व राज्य सरकार की वेबसाईट [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है जिसका अवलोकन किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें इस कार्यालय में 500/- नकद/डी.डी. भेजकर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्राप्त निविदाओं में तकनीकी बिड को उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जावेगा। किसी भी निविदा या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार मुद्रणालय को होगा तथा इस संबंध में मुद्रणालय का निर्णय ही अन्तिम व मान्य होगा। निविदादाता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह होगा कि समस्त शर्तें निविदादाता फर्म को स्वीकार है। निविदा के साथ दो प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि रु. 40000/- निविदा प्रपत्र में अंकितानुसार डी.डी. के रूप में जमा करानी होगी। बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। सफल निविदादाता फर्म को बिड के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर 1.00 लाख रूपये नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा लिखित करार (अनुबन्ध) कराना होगा।

निविदा एक वर्ष के लिए अर्थात् अनुबंध होने के एक वर्ष तक मान्य रहेगी। उक्त अवधि को आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में मुद्रणालय का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा। बढ़ाई गई अवधि के लिये अलग से करार नहीं किया जायेगा। निविदा एवं संविदा की शर्तें परिशिष्ट "स" संलग्न है।

संलग्न : निविदा प्रपत्र एवं शर्तें

**प्रबन्ध निदेशक**

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०  
जी-1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-302017  
फोन नं. 0141-2751417, 2751352

मुद्रणालय को वित्तीय वर्ष 2015-16 (अनुबंध होने के एक वर्ष की अवधि के लिये) सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य कामगार आउट सोर्सिंग से कराने हेतु बिड प्रपत्र प्रथम "तकनीकी बिड"

1. बिड प्रपत्र मूल्य 500.00 रूपये
2. बिड प्राप्ति की दिनांक 12.08.2015 को दोपहर 2.00 बजे तक
3. तकनीकी बिड खोलने की दिनांक 12.08.2015 को अपराह्न 3.00 बजे
4. बिड प्राप्तकर्ता प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०, जयपुर

1.	सेवा प्रदायक संस्था का नाम तथा डाक का पूर्ण पता मय दूरभाष नं०	..... .....
2.	सेवा प्रदायक संस्था का पंजीयन क्रमांक पंजीयन का प्रकार (संस्था अधिनियम/सर्विस टैक्स/आयकर/वेटकर (छाया प्रति संलग्न करें)	..... ..... .....
3.	सेवा प्रदायक के द्वारा प्रस्तुत बोली प्रतिभूति/अमानत राशि के बैंक ड्राफ्ट/नकद का विवरण (अनुमानित राशि 20.00 लाख रूपये) (बैंक ड्राफ्ट राज० राज्य सह० मुद्रणालय लि० जयपुर के पक्ष में देय हो)	राशि 0.40 लाख बैंक का नाम..... शाखा..... डी.डी. नं..... दिनांक.....
4.	सेवा प्रदायक संस्था को आयकर अधिकारी द्वारा जारी शोध्य प्रमाण पत्र (छाया प्रति संलग्न है)	आयकर सर्किल..... शोध्य प्रमाण पत्र वर्ष..... पेन नं. ....
5.	सेवा प्रदायक का पी. एफ. कार्यालय में पंजीयन क्रमांक एवं वर्ष तथा पी.एफ. चुकती प्रमाण पत्र संलग्न है। (छाया प्रति संलग्न है)	..... ..... .....
6.	सेवा प्रदायक का ई.एस.आई. कार्यालय में पंजीयन क्रमांक एवं वर्ष तथा ई.एस.आई. चुकती प्रमाण पत्र संलग्न है। (छाया प्रति संलग्न है)	..... ..... .....

7.	सेवा प्रदायक संस्था का कार्य क्षेत्र	.....
8.	सेवा प्रदायक संस्था के आय व्यय एवं बेलेंसशीट की प्रति संलग्न करें (यदि कोई हो)	वर्ष ..... .....
9	सेवा प्रदायक संस्था द्वारा पूर्व में किये गये कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है।	..... .....
10.	सेवा प्रदायक संस्था के दो मुख्य पदाधिकारियों के नाम पते, दूरभाष नंबर सहित।	1.-..... 2.-.....
11.	सेवा प्रदायक संस्था को सर्विस टैक्स जमा का चुकती प्रमाण पत्र संलग्न है।	..... .....
12.	विगत तीन वित्तीय वर्षों का आडिटेड आय-व्यय खाता सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित संलग्न है।	

**बोलीदाता फर्म के हस्ताक्षर व मोहर**

नाम.....

पद.....

पता.....

.....

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०,  
जयपुर

बोलीदाता फर्म द्वारा घोषणा पत्र

मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त बिड संख्या ..... दिनांक ..... के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन मे पाददर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के अन्तर्गत एतद् घोषणा करता हूँ कि :-

- (1) यह कि मुद्रणालय द्वारा उक्त बिड्स से सम्बन्धित (मैन पावर) मानव संसाधन एवं व्यवसायिक तकनीकी तथा आर्थिक एवं प्रबन्धकीय संसाधन आदि मेरे/हमारे पास उपलब्ध है।
- (2) यह कि मैं/हम केन्द्र और राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार के देय करो के लिये बाध्यकारी रहूँगा/रहेगें।
- (3) यह कि हम/मैं किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया आदि घोषित नहीं हूँ/है और न ही उक्त कारणों से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।
- (4) यह कि विगत 3 वर्षों में मैं/हम और हमारे निदेशक व अधिकारियों में से कोई व्यावसायिक गतिविधि के कारण किसी असंवैधानिक/अपराधिक गतिविधि में सजायापता नहीं है और ना ही किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण नियोग्य किये गये है।
- (5) यह कि मेरे/हमारे द्वारा बिड प्रपत्र की सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया गया है और मैं/हम इसकी शर्तों/नियमों से पूर्णतया सहमत हूँ/है। जो स्वीकार है।
- (6) यह कि मैं/हम उक्त अधिनियम, नियम व बिड्स शर्तों से विपरीत कोई धारणा नहीं रखते है।
- (7) विगत तीन वित्तीय वर्ष का आडिटेड आय-व्यय खाता (जो कि बिड के मूल्य 100 प्रतिशत से कम न हो) सनदी लेखाकार से प्रमाणित संलग्न है।

दिनांक : .....

स्थान : .....

हस्ताक्षर बोलीदाता फर्म

नाम.....

पद.....

पता.....

.....

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०  
जी-1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-302017  
फोन नं. 0141-2751417, 2751352

मुद्रणालय को वित्तीय वर्ष 2015-16 (अनुबंध होने के एक वर्ष की अवधि के लिये) की अवधि के लिये सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य जॉब बेसिस पर कामगार उपलब्ध कराने हेतु निविदा प्रपत्र द्वितीय "वित्तीय निविदा"

1. निविदादाता फर्म का नाम व पूर्ण पता.....  
.....  
.....
2. मुद्रणालय में सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य जॉब बेसिस आउट सोर्सिंग पर कामगार उपलब्ध कराने हेतु हमारे द्वारा निविदा में प्रस्तुत दरें निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	अनुमानित राशि	बोली प्रतिभूति राशि 0.40 लाख रूपये	
			प्रस्तावित मासिक दर	
			अंको में	शब्दों में
1.	सुरक्षा व्यवस्था हेतु (कुशल) प्रहरी			
2.	कम्प्यूटर में ऑपरेटर कम लिपिक (उच्च कुशल) जॉब बेसिस पर			
3.	प्रशिक्षित प्रिन्टिंग हैल्पर (कुशल) जॉब बेसिस पर			
4.	सहायक मशीन ऑपरेटर (ऑफसैट) (उच्च कुशल) जॉब बेसिस पर			
5.	बगीचे की व्यवस्था हेतु बागवान जॉब बेसिस पर			
6.	सफाई व्यवस्था हेतु			

3. उपरोक्त दरों के अतिरिक्त पी.एफ., ई.एस.आई., सर्विस टैक्स एवं सर्विस चार्ज की दरें निम्नानुसार प्रस्तुत है :-
  1. पी.एफ. की दर -
  2. ई.एस.आई की दर -
  3. सर्विस टैक्स की दर -
  4. सर्विस चार्ज की दर -
4. बिड प्रपत्र के साथ बिड्स एवं संविदा की जो शर्तें संलग्न है, मुझे/हमें स्वीकार है।
5. राशि अंको एवं शब्दों में सुस्पष्ट अंकित की जावें।

निविदादाता फर्म के हस्ताक्षर मय मोहर

नाम.....

पद.....

पता.....

.....

## राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०, जयपुर

वित्तीय वर्ष 2015-16 (अनुबंध होने की तिथि से एक वर्ष के लिये) की अवधि के लिये आउट सोर्सिंग सेवाप्रदाता संस्थाओं में सिक्यूरिटी गार्ड एवं अन्य कामगार अनुबंध पर रखने हेतु निविदा शर्त :-

1. मुद्रणालय को वित्तीय वर्ष 2015-16 (अनुबंध होने के एक वर्ष की अवधि के लिये) की अवधि के लिये सुरक्षा व्यवस्था, कम्प्यूटर कार्य, सफाई, बागवानी, मशीनों का संचालन (ऑफसैट एवं प्रिन्टिंग) जॉब बेसिस पर पूर्णतया अनुबंध पर आउट सोर्सिंग सेवा प्रदाता/एनजीओ/संस्था/सेवादाता कं०/सेवासमिति से टू बिड पद्धति से बिड्स (तकनीकी एवं वित्तीय) हस्ताक्षरयुक्त दिनांक 12.08.2015 को दोपहर 2 बजे तक सीलबंद निविदा में आमंत्रित की जाती है। (1) तकनीकी बिड प्रपत्र "अ" में तकनीकी एवं अन्य विवरण तथा (2) वित्तीय बिड प्रपत्र "ब" में दरें अंकित कर प्रस्तुत करनी होगी। बोलीदाता फर्म का स्थानीय स्तर पर कार्यालय होना अनिवार्य है।
2. निविदा समिति द्वारा सर्वप्रथम तकनीकी बिड को निर्धारित तिथि को उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोला जावेगा। तकनीकी बिड में योग्य पाये जाने पर ही द्वितीय वित्तीय बिड को खोला जावेगा। इसमें किसी भी प्रकार का वाद विवाद मान्य नहीं होगा।
3. विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. बिड केवल उन्ही रजिस्टर्ड फर्मों द्वारा दी जानी चाहिये जो आउट सोर्सिंग सेवा प्रदाता/एनजीओ/संस्था/सेवादाता कं०/सेवासमिति हो जो आउट सोर्सिंग की सेवाये उपलब्ध कराता हो।
5. निविदा के साथ बोली प्रतिभूति राशि के रूप में 40000/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट जमा कराना होगा। बैंक ड्राफ्ट राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय के नाम होगा। बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
6. निविदादाता फर्म को निविदा के साथ सेवा प्रदायक संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र, सर्विस टैक्स प्रमाण पत्र, आयकर/वेटकर चुकती प्रमाण पत्र तथा लेबर ऐक्ट 1970 (रेग्यूलेशन एण्ड एबोलिशन) के अंतर्गत लाईसैन्स का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
7. निविदादाता फर्म को ई.एस.आई. एवं पी.एफ. सर्विस टैक्स, सर्विस चार्जेज की दरें अलग-अलग देनी होगी अर्थात ई.एस.आई. एवं पी.एफ., सर्विस टैक्स (नियोक्ता का) निविदादाता फर्म को ही वहन करना होगा। मुद्रणालय इसके लिये जिम्मेदार नहीं होगा तथा ना ही मुद्रणालय द्वारा वहन किया जायेगा। सफल निविदादाता फर्म को मुद्रणालय में लगाये जाने वाले कार्मिको का पी.एफ., ई.एस.आई., सर्विस टैक्स आदि प्रति माह जमा कराये गये चालान एवं कामगारो को भुगतान की प्राप्ति की प्रति सहित अगले माह के भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल के साथ आवश्यक रूप से जमा कराना होगा।
8. निविदादाता फर्म को निविदा में पी.एफ. एवं ई.एस.आई. तथा सर्विस टैक्स के रजिस्ट्रेशन नम्बर भी अंकित करना होगा। इनके अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
9. अनुमोदित निविदादाता फर्म मुद्रणालय में अनुभवी सिक्यूरिटी गार्ड एवं अन्य कामगार लगाने के लिये बाध्य होगी।
10. निविदादाता फर्म के समस्त कार्मिक संस्था में पूर्ण अनुशासन में रहेंगे तथा मुद्रणालय प्रशासन के निर्देशानुसार कार्य करेंगे एवं निर्देशों की पालना करेंगे तथा कार्यशाला संबंधी जानकारी रखेंगे।
11. अनुमोदित निविदादाता फर्म को मुद्रणालय में कार्य की आवश्यकतानुसार ईमानदार सुरक्षाकर्मी एवं अन्य कामगार लगाने होंगे। किसी प्रकार की आपराधिक संलिप्तता पाये जाने पर पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता फर्म की होगी।

12. मुद्रणालय न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकृत करने के लिये बाध्य नहीं है तथा उसे किसी भी निविदा या निविदा के किसी भी भाग को उसका कारण बतलाये बिना स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार संस्था को होगा।
13. सफल निविदादाता फर्म को संस्था के पक्ष में एक अनुबंध करना होगा। अनुबंध नहीं करने पर निविदा रद्द कर दी जावेगी तथा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
14. कम्प्यूटर कार्य की योग्यता स्नातक तथा कम्प्यूटर एवं लेखों का ज्ञान तथा कार्य का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा। सहायक मशीन ऑपरेटर एवं प्रिन्टिंग हैल्पर्स को ऑफसैट प्रिन्टिंग कार्य में 3 वर्ष का पूर्ण अनुभव होना चाहिये।
15. निविदा के साथ सर्विस टैक्स ई.पी.एफ./ई.एस.आई. अंशदान राशि का चुकती प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
16. निविदा स्वीकृत होने पर नियमानुसार सिक्यूरिटी राशि 1.00 लाख रुपये जमा करानी होगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निविदा के साथ जमा करवाई गई बोली प्रतिभूति राशि रु. 40000/- समायोजित कर ली जावेगी।
17. मुद्रणालय में पूर्व की जमा बोली प्रतिभूति/सिक्यूरिटी राशि को इस निविदा के साथ नियमानुसार जमा कराई जाने वाली राशि में समायोजन नहीं होगा।
18. अनुमोदित फर्म सप्लाई किये जाने वाले कामगारों की शर्तों, विशिष्ट विवरणों आदि को सावधानीपूर्वक देखकर दरें प्रस्तुत करें। यदि उसे उन शर्तों या विशेष विवरण आदि के अर्थ के बारे में कोई सन्देह होगा तो वह अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे प्रभारी को सन्दर्भित करेगा तथा उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
19. (1.) फर्म आवंटित आदेश को किसी अन्य एजेन्सी को सबलेट नहीं करेगा।  
 (2.) संस्था को फर्म का निरीक्षण करने तथा जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा।  
 (3.) निविदादाता को अपने स्थानीय कार्यालय का पूर्ण पता अंकित करना होगा। जहां जाकर निरीक्षण किया जा सके तथा साथ ही उस व्यक्ति का पूरा नाम तथा पता भी देना चाहिये, जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।  
 (4.) फर्म को जारी कार्य आदेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।  
 (5.) दरें शब्दों और अंकों दोनों में लिखी जानी चाहिए। निविदा में कोई भी अभिवृद्धि (एडीशन) एवं परिवर्तन नहीं किये जाने चाहिए। कोई भी ओवरराइटिंग नहीं की जानी चाहिए।  
 (6.) निविदादाता को निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ व अन्त में निविदा एवं अनुबन्ध की समस्त शर्तों को मानने के प्रमाण में हस्ताक्षर करने चाहिए।  
 (7.) निविदा के साथ नियमानुसार 2 प्रतिशत निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के रूप में रु. 40000/-जमा करानी होगी। इसके बिना निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। बोली प्रतिभूति राशि राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट द्वारा अथवा नकद जमा करानी होगी। जिस फर्म की निविदा स्वीकार नहीं होगी, उन्हें निविदा की अंतिम स्वीकृति होने से एक माह के भीतर वापिस लौटा दी जावेगी एवं जिन निविदादाताओं की निविदा स्वीकार की जावेगी उनको कार्य सम्पादन राशि 1.00 लाख रुपये मुद्रणालय में जमा करवानी होगी तथा निविदा के साथ जमा बोली प्रतिभूति राशि को जमानत (सिक्यूरिटी) के रूप में समायोजन कर लिया जावेगा।

- (8.) सफल निविदादाता को निर्धारित प्रपत्र में एक अनुबन्ध करना होगा तथा संविदा की शर्तों को भली प्रकार से निभाने के लिए नियमानुसार पांच प्रतिशत सिक्कूरिटी के रूप में सिक्कूरिटी राशि जमा करानी होगी जिसको सहमत हुए संविदा का कार्य पूर्ण होने की तारीख से दो माह के बाद विवाद न होने की स्थिति में सिक्कूरिटी राशि लौटा दी जावेगी। ऐसी सिक्कूरिटी राशि पर मुद्रणालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अनुबन्ध को पूरा करने एवं उस पर स्टाम्प आदि का जो व्यय होगा वह निविदादाता को वहन करना पड़ेगा। मुद्रणालय को निःशुल्क अनुबन्ध की एक स्टाम्प लगी हुई मूल प्रति दी जावेगी। अनुबन्ध के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
- (9.) फर्म को भुगतान करने में (राशि के प्रेषण) में जो भी अतिरिक्त व्यय होगा वह अनुमोदित फर्म द्वारा वहन किया जावेगा।
- (10.) यदि अनुमोदित फर्म निर्धारित विवरण के अनुसार सिक्कूरिटी गार्ड एवं अन्य कामगार उपलब्ध कराने में असफल हो जाता है या निर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजने में असफल रह जाता है तो मुद्रणालय अन्य प्रकार से व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा तथा जिसमें होने वाली क्षतिपूर्ति राशि की वसूली निविदादाता फर्म से की जावेगी।
- (11.) मुद्रणालय अनुमोदित फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये गये सिक्कूरिटी गार्ड एवं अन्य कामगारों की शिकायत के सम्बंध में फर्म को लिखित में सात दिवस का नोटिस दे सकता है एवं बाद में उस नोटिस की तामील होने की तारीख से सात दिवस के भीतर अनुमोदित फर्म पालना करने में असफल रहता है, तो ऐसे मामलों में यदि मुद्रणालय उचित समझता है तो उसके लिए उस सुरक्षित धन राशि को रोकना न्यायोचित होगा तथा अन्य व्यवस्था करने के लिये स्वतंत्र होगा जिसमें होने वाले अधिक व्यय की राशि की वसूली फर्म की जमा सिक्कूरिटी राशि में से किया जावेगा।
- (12.) 1. बिल का भुगतान बिल प्राप्ति के एक माह में किया जावेगा। विवादास्पद मामले में निपटारा होने पर बिल का भुगतान किया जावेगा।
- (13.) 2. निविदाकर्ता या उसके प्रतिनिधियों की ओर से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रयास करना निविदा स्वीकृत करने के लिए अयोग्यता माना जावेगा।  
यह आवश्यक नहीं है कि वह न्यूनतम निविदा को ही स्वीकार करें। वह किसी भी निविदा/निविदा के किसी भाग को उसके कारण बतलाये बिना रद्द कर सकता है।
- (14.) भुगतान योग्य बिलों पर नियमानुसार टी.डी.एस. काटा जायेगा।
- (15.) बिड्स अनुबंध की वैधता अवधि अनुबंध होने की तिथि से एक वर्ष होगी। आवश्यकता होने पर आपसी सहमति से नियमों के तहत अवधि आगे बढ़ाई जावेगी।
- (16.) बिड्स स्वीकृत करने/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सहकारी मुद्रणालय प्रशासन को होगा।
- (17.) बोलीदाता की पहचान हेतु फोटो युक्त आई डी प्रूफ की प्रति संलग्न करना होगा।
- (18.) दरों में शब्दों एवं अंकों में अंतर होने पर शब्दों वाली दर सही मानी जावेगी।
- (19.) बिड्स/निविदाओं से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों एवं अनुबंध के निर्वाचन से सम्बन्धित सभी विवादों के निपटारे के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के तहत उपापन से सम्बन्धित विवादास्पद प्रकरण के सम्बन्ध में अपील की सुनवाई का अधिकार प्रथम अपील प्राधिकारी मुद्रणालय के प्रशासक/संचालक मंडल एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर में निहित है।

- (20.) निविदादाता फर्म को न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत निर्धारित दरों को ध्यान में रखते हुये दरें प्रस्तुत करनी होगी।
- (21.) निविदादाता फर्म को अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- (22.) बोलीदाता फर्म :-
1. राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम का भुगतान नहीं करेगी।
  2. श्रम विभाग से संबंधित समान सूचनायें/रिकार्ड आदि निविदादाता फर्म को रखने एवं उपलब्ध कराना होगा।
  3. श्रम विभाग के नियमों एवं श्रम विधिक नियमों की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता फर्म की होगी।
  4. निविदादाता फर्म एवं कार्मिकों के मध्य होने वाले किसी भी न्यायिक विवाद के सम्बंध में मुद्रणालय पक्षकार नहीं होगा।
  5. उपलब्ध कराये गये कार्मिकों से होने वाले समस्त नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिये फर्म जिम्मेदार होगी।
  6. निविदादाता के कार्मिक मुद्रणालय के कार्मिक नहीं होंगे।
- (23.) मुद्रणालय को राजस्थान लोक उपापन में पारिदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में दशार्थ गये नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्यवाही का अधिकार होगा।
- (24.) सशर्त बिड स्वीकार नहीं की जायेगी।

#### प्रबन्ध निदेशक

हमने निविदा की उक्त सभी शर्तें पूर्ण रूप से पढ़ ली हैं। उक्त सभी शर्तें हमें स्वीकार हैं।

निविदादाता फर्म के हस्ताक्षर मय मोहर

नाम.....

पद.....

पता.....

.....